भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ
{भाग-2, खण्ड-3 के उप खण्ड (i) }

भारत सरकार

अधिसूचना

नई दिल्ली, जनवरी, 2019

सा.का.नि. ...., केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949, (1949 का 66) की धारा 18 के उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पायनियर संवर्ग (ग्रुप ख और ग पदों) भर्ती नियमावली 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पायनियर संवर्ग (ग्रुप ख और ग पदों), भर्ती संशोधित नियमावली, 2019 होगा ।

(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पायनियर संवर्ग (ग्रुप ख और ग पदों) भर्ती नियमावली, 2010, -

(ए) नियम 2 में "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शद दोनों स्थानों पर "वेतन मेट्रिक्स में स्तर" की प्रविष्टि से प्रतिस्थापित होगी;

(बी) अनुसूची में -

(i) उप निरीक्षक (सिविल) पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के स्थान पर :-

(ए) कालम संख्या (4) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर- 6 (रूपये 35400 से 112400)"

(ii) हवलदार (पायनियर) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के स्थान पर :-

(ए) कॉलम (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित होगी, यथा :-

"लेवल 4 (रू. 25500 से 81100)"

(iii) सिपाही (पायनियर) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के स्थान पर :-

(ए) कॉलम (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित होगी, यथा:-

"लेवल 3 (रू. 21700 से 69100)"

(iv) उपरोक्त भर्ती नियमावली के अनुसूची की कॉलम संख्या (6) में "केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत वर्णित शब्द क्या सेवा के लिए जोड़े गए वर्षों का लाभ लागू होगा " को हटाया जाएगा ।

(एफ. नं..एम.पांच-1/2019-स्था.-7 सीपीसी)

(आर.बी.एस. नेगी)
उप सचिव (कार्मिक)

नोट:- प्रमुख नियमावली, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, धारा-3, उप धारा-(i) दिनांक 9 जून, 2010 में अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 490 (ई) दिनांक 09 जून, 2010 के तहत प्रकाशित की गई ।